



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64266-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 4216/2026

अशोक कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : रवि प्रकाश त्रिपाठी, सन्तोष कुमार उपाध्याय, विनय कुमार द्विवेदी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., शेषमणि मिश्रा

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 17.12.2025 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल प्रार्थना पत्र ('ओए') और ओए विलम्ब माफी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।
2. ओए वर्ष 2023 में दायर किया गया था, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित 13.01.2003 के सजा आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और साथ ही 28.06.2004 के अपीलीय आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसके द्वारा सजा के आदेश की पुष्टि की गई थी।
3. विलम्ब माफी मांगने वाले प्रार्थना पत्र में, यह दलील दी गई थी कि अपीलीय आदेश याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ओए यह संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 1999 में आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत एफआईआर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दर्ज की गई थी, उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.09.2016 के फैसले द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसके द्वारा दायर अपील को 20.10.2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ की अदालत द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके बाद वर्तमान ओ.ए. दाखिल किया गया।

4. विलम्ब माफी की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र को प्रत्यर्थागण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ओए दाखिल करने में 19 साल की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलीय आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को विधिवत भेजी गई थी और इस संबंध में उठाई गई याचिका निराधार है।

5. न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अनुशासनात्मक और अपीलीय आदेशों का उल्लंघन नहीं करने के लिए एक वैध आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता विधिक रूप से आपराधिक मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना सजा के आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती देने का हकदार था।

6. न्यायाधिकरण ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टीटी मुरली: (2014) 4 एससीसी 108 और पथपति सुब्बा रेड्डी और अन्य बनाम विशेष उप कलेक्टर: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 513 में फैसलों का हवाला देने के बाद, विलम्ब माफी मांगने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप, अपंजीकृत ओ.ए. को खारिज किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण तकनीकी कारणों से विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र को खारिज करने में उचित नहीं था। प्रस्तुतियाँ की गईं कि ओए यानी आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने में देरी के लिए पर्याप्त कारणों का खुलासा किया गया था, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था और इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द करने के योग्य है।

8. बसंती प्रसाद बनाम अध्यक्ष, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड और अन्य: (2009) 6 एससीसी 791, ज्योत्सना कानूनगो बनाम शैलेंद्र कानूनगो: एसएलपी (सी) संख्या 21693/2025 15.12.2025 को निर्णय लिया गया, ओडिशा राज्य और अन्य बनाम नमतारा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रबंध समिति: एसएलपी (सी) डायरी संख्या 54941/2025 09.02.2026 को निर्णय लिया गया और कलेक्टर,



भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य बनाम सुश्री कातीजी और अन्य: (1987) 2 एससीसी 107

पर भरोसा जताया गया था।

9. प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

10. हमने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह पता चला है कि याचिकाकर्ता को 15.03.1999 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें गबन से संबंधित पांच आरोप थे, जिसमें उचित जांच के बाद, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषी पाया। अनुशासन प्राधिकारी ने उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद दिनांक 13-01-2003 को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर, अपील दायर की गई, जिसे दिनांक 28.06.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

12. याचिकाकर्ता ने इन सभी वर्षों के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया।

13. गबन के आरोपों के लिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप शुरू में 08.09.2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दोषी ठहराया गया था। हालांकि, अपील में, संदेह का लाभ देकर, उन्हें 20.10.2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया था, जिसके बाद 2023 में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने की मांग करते हुए ओए दायर किया गया था, आपराधिक प्रकरण में फाउंडेशन को बरी कर दिया गया था।

14. घटनाओं के उपरोक्त क्रम से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र विभागीय जांच में आगे बढ़ाया गया था, जो जांच बर्खास्तगी के क्रम में समाप्त हुई। याचिकाकर्ता ने तुरंत अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

15. एक बार जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आपराधिक आरोपों से स्वतंत्र पूरी लंबी विभागीय जांच के बाद और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के उक्त आदेश के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया गया था, तो वैधानिक अपील खारिज हो गई, याचिकाकर्ता को इसके तुरंत बाद उक्त आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने की आवश्यकता थी और स्पष्ट रूप से उसके लिए आपराधिक मुकदमे / अपील में निर्णय की प्रतीक्षा करने का कोई अवसर नहीं था। इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक मुकदमे के निस्तारण की प्रतीक्षा की, जिसमें बर्खास्तगी की तारीख से बारह साल लग गए और उसे वर्ष 2016 में दोषी ठहराया गया। हालाँकि, अपील पर वर्ष 2022 में निर्णय लिया गया और उन्हें संदेह का लाभ दिया गया और आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया।

16. आपराधिक आरोप से बरी होने से याचिकाकर्ता को ऐसे प्रकरण में कार्रवाई का कोई नया कारण नहीं मिलता है जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील का निर्णय आपराधिक आरोप से स्वतंत्र किया गया है। ऐसे प्रकरण में स्थिति अलग होगी जहां बर्खास्तगी का आदेश पूरी तरह से दोषसिद्धि पर आधारित होता है और अपील में, दोषसिद्धि को पलट दिया जाता है, जो कि यहां प्रकरण नहीं है।

17. उन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने में 19 साल से अधिक की देरी का कोई औचित्य था। एक आपराधिक प्रकरण में केवल बरी होना, अपने आप में, अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मंचों में सबूत का स्तर अलग-अलग है, जिसमें एक आपराधिक प्रकरण के लिए, उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण में, वही संभावना की प्रधानता है और उन परिस्थितियों में, विलम्ब माफी के लिए उठाई जाने वाली याचिका को न्यायाधिकरण द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

18. जहां तक **बसंती प्रसाद (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उक्त प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि एक अपराधी कर्मचारी को बासी प्रकरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, जैसा कि उक्त प्रकरण में, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश के मद्देनजर अपराधी को खारिज कर दिया गया था और मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश को एक उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपील पर निर्णय के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाना देरी और लापरवाही से प्रभावित नहीं था। जैसा कि यहां पहले देखा गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के कारण याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी नहीं हुई थी, क्योंकि बर्खास्तगी वर्ष 2003 में अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर हुई थी और दोषसिद्धि वर्ष 2016 में हुई थी, इस प्रकार, उक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।



19. **ज्योत्सना कानूनगो (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, न्यायालय ने कहा कि न तो देरी की लंबाई और न ही देरी के दिनों की संख्या प्रासंगिक है यदि दिखाया गया कारण पर्याप्त है। हालांकि, वर्तमान प्रकरण में, दिखाए गए कारण यानी आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने को इस तथ्य को देखते हुए पर्याप्त नहीं पाया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक आरोप से स्वतंत्र थी और इसलिए, उक्त निर्णय का भी वर्तमान प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं है।

20. **ओडिशा राज्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निर्णय याचिकाकर्ता के खिलाफ है जिसने अनिवार्य रूप से राज्य के अधिकारियों की ओर से देरी से निपटा है।

21. **कातीजी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निर्णय का भी वर्तमान प्रकरण पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है क्योंकि देरी के कारण का चुनौती की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता को बरी किया जाना ऐसे प्रकरण में याचिकाकर्ता के लिए कार्रवाई का एक नया कारण नहीं दे सकता है जहां आपराधिक आरोपों से स्वतंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है।

22. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। रिट याचिका में कोई सार नहीं है। इसलिए याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

26 मार्च, 2026

एसएल/